UPMO0010076962022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।

उपस्थितः– श्रीमती रेशमा चौधरी, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6230

सिविल निगरानी सं0–56/2022

1. सैय्यद किश्वर अली पुत्र स्व0 सैय्यद राशिद अली **(मृतक)**
निवासी मौ0 मुगलपुरा प्रथम नगर व जिला मुरादाबाद।
1/1. श्रीमती निगहत जहां पत्नी स्व0 सैय्यद किश्वर अली,
1/2. दानिश अली पुत्र स्व0 सैय्यद किश्वर अली,
1/3. ताकिश अली पुत्र स्व0 सैय्यद किश्वर अली,
निवासीगण मौ0 मुगलपुरा प्रथम नगर व जिला मुरादाबाद।
1/4. श्रीमती जरीन जैदी पुत्री स्व0 सैय्यद किश्वर अली, पत्नी सैय्यद शादाब अली,
निवासिनी निकट मौहम्मदी चौक इंदिरानगर, नगर व तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल
1/5. श्रीमती नाजरीन जैदी पुत्री स्व0 सैय्यद किश्वर अली, पत्नी मौ0 फैज अली,
निवासिनी मौ0 लाहौरी सराय, तहसील नगीना, जिला बिजनौर।

.....निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण।

बनाम

1. मशकूर खां,
2. मसरूर खां,
3. मखदूम खां,
4. ममनून खां पुत्रगण स्व0 मौ0 रफी खां, निवासीगण मौ0 लाकडीवालान पूर्वी मुगलपुरा प्रथम नगर व जिला मुरादाबाद। .....उत्तरदातागण
5. सैय्यद जमाल अहमद पुत्र स्व0 रियासत अली **(मृतक)**
5/1. मौ0 जमाल अहमद पुत्र स्व0 जमाल अहमद, निवासीगण मुगलपुरा प्रथम लाकड़ी वालान हाल निवासी मकान नं0 एम0आई0जी0 एकता विहार कालोनी रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6. मौ0 जफीर पुत्र सैययद जमाल अहमद, निवासी मुगलपुरा प्रथम लाकड़ी वालान, हाल रिनवासी मकान नं0 एम0आई0जी0 एकता विहार कालोनी रामपुर रोड, मुरादाबाद।
7. आसिफ खां पुत्र राशिद खां, निवासी म0नं0 37, मौ0 कानून गोयान, निकट मिर्च वाली मस्जिद नगर व जिला मुरादाबाद।
8. सैय्यद जफर अली उर्फ सलीम मियां पुत्र स्व0 सैययद शब्बरी अली, निवासी मुगलपुरा प्रथम लाकड़ी वालान नगर व जिला मुरादाबाद। .....औपचारिक उत्तरदातागण

निर्णय

1. वर्तमान सिविल निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान लघुवाद न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा इजराय वाद सं0–83/2019, मशकूर खां बनाम सैय्यद किश्वर अली में पारित आदेश दिनांकित 19.07.2022 के विरुद्ध योजित की गई है।

प्रस्तुत निगरानी उद्भूत होने का कारण यह है कि विद्वान लघुवाद न्यायाधीश, मुरादाबाद मुरादाबाद द्वारा इजराय वाद सं0–83/2019 तथा मूल वाद सं0–874/2015, मशकूर खां बनाम सैय्यद किश्वर अली में उत्तरदातागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं0 3ग, अंतर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा सी0पी0सी0 की धारा–115 के अन्तर्गत प्रस्तुत निगरानी योजित की गई।

2. निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी संक्षेप में निम्न कथानों के आधार पर प्रस्तुत की गई कि अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश विधि के प्रावधानें और तथ्यों के विपरीत है। अवर न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त करने में विधिक और तथ्यात्मक त्रुटि की है कि रिवीजनकर्ता सं० 1 से 4, जो मूलवाद सं० 874/2015 नया मूलवाद सं० 121/2016 प्रतिवादीगण सं० 4 से 7 हैं, पर सम्मन की तामील इन्कारी के आधार पर मानी गई है, इसलिए उनके लिए सी०पी०सी० के आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अवधि की गणना डिक्री के दिनांक से न होकर डिक्री पारित होने के तथ्य की सूचना के दिनांक से होगी। प्रतिवादीगण सं० 4 से 7 पर वाद की जानकारी तब हुई जब विपक्षी ने उसी दिन पी०ए० वाद सं० 18/2018 में अतिरिक्त काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पपोन्डेन्ट सं० 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत पी०ए० वाद सं० 18/2018 में विपक्षी सं० द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र, जिसकी प्रतिलिपि रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 से 4 को उनके अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 27.02.2019 को प्राप्त हो गई थी, के पैरा सं० 9 व 29 व 45 में मूलवाद सं0 874/2015 जिसकी नयी सं० 121/2016 हो गई थी, के विचाराधीन होने का उल्लेख है। उक्त प्रतिवाद पत्र में मूलवाद सं० 874/2019 के विचाराधीन होने तथा उक्त वाद का माननीय लघुवाद न्यायाधीश महोदय मुरादाबाद के न्यायालय में स्थानान्तरित होने पर वाद सं0 121/2016 अंकित होने तथा उक्त वाद का उक्त न्यायालय में लंबित होने का उल्लेख था। इसलिए रेस्पोन्डेन्ट्स यह अभिकथित करने के अधिकारी नहीं हैं कि उन्हें मूलवाद सं0 874/2015, जिसका नया नम्बर 121/2016 है, के विचाराधीन होने का कोई ज्ञान नहीं था तथा विपक्षी सं० 8 के अतिरिक्त काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें मूलवाद सं० 874/2015 जिसका नया नम्बर 121/2016 है, में पारित एकपक्षीय डिक्री व निर्णय दिनांक 07.05.2019 का ज्ञान दिनांक 30.07.2019 को हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट्स सं० 1 से 4 को मूलवाद सं0 874/2015 जिसका नया नम्बर 121/2016 के विचाराधीन होने का ज्ञान दिनांक 27.02.2019 को अवश्य हो गया था, इसलिए मूलवाद सं० 874/2015 जिसका नया नम्बर 121/2016 हो गया था, में पारित एकपक्षीय डिक्री को निरस्त कराने के लिए अवधि की गणना डिक्री के दिनांक 07.05.2019 से होगी, डिक्री की कथित सूचना के दिनांक 30.07.2019 से नहीं होगी। अवर न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान न लेने में विधिक और तथ्यात्मक त्रुटि की है कि रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 से 4 ने अपने प्रार्थना पत्रों क्रमशः अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० व अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम में अपने जो पते अंकित किये हैं, उन्हीं पतों पर उनके निकट स्थान अंकित करके रेस्पोन्डेन्ट्स को नोटिसेज माननीय न्यायालय के नोटिस तामील करने वाले कर्मचारियों तथा रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये गये जिनको रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 से 4 न्यायालय के तामील करने वाले कर्मचारियों व पोस्ट मैन्स से मिलकर उनको अनुचित लाभ पहुँचा कर उनसे मिथ्या रिपोर्ट्स लिखवाकर वापस करते रहे तथा रेस्पोन्डेन्ट्स सं० 1 से 4 न्यायालय में उपस्थित हुए बिना ही उक्त वाद की कार्यवाहियों पर गिद्ध दृष्टि बनाये रहे। अवर न्यायालय ने इस तथ्य पर दृष्टिपात न करने में विधिक और तथ्यात्मक त्रुटि की है कि वाद प्रस्तुत करने के दिनांक से 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर माननीय अवर न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय ने अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त रेस्पोन्डेन्ट्स सं० 1 से 4 व अन्य प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील मानकर उन्हें कई अवसर प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिये तथा दिनांक 10.09.2018 को एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित करने के उपरान्त भी लगभग 8 मास पश्चात् दिनांक 07.05.2019 को प्रश्नगत डिक्री व निर्णय पारित किया था। इस

प्रकार रेस्पोन्डेन्ट्स अपनी लापरवाही का स्वयं लाभ उठाने के अधिकारी नहीं है। अवर न्यायालय ने इस तथ्य पर दृष्टिपात न करने में विधिक भूल की है कि रेस्पोन्डेन्स दिन–प्रतिदिन की देरी का स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं। अवर न्यायालय ने स्वयं में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विधिक त्रुटि की है। प्रश्नगत आदेश स्थिर रहने से रिवीजनकर्ता को घोर और अपूर्णीय क्षति होगी। अतः रिवीजन प्रत्येक दशा में स्वीकार होने तथा अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश तथा रेस्पोंडेंटस का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम निरस्त किए जाने की याचना की गई।

3. उत्तरदातागण संख्या 1 ता 5 एवं 8 की ओर से निगरानी के विरुद्ध मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पाारित आदेश विधि एवं तथ्यों के अनुकूल है। आदेश पारित करते समय अवर न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि विधि एवं साम्य के अनुकूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण में सुसंगत तथ्यों एवं साक्ष्यों का भलीभांति परिशीलन कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश से निगरानीकर्ता के किसी भी प्रकार से कोई हक तल्फी नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा जिन आधारों पर आक्षेपित आदेश को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है, उक्त आधार विधि एवं तथ्यों के विपरीत है, इस कारण निगरानी को निरस्त करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विविध वाद सं0–83/2019, मशकूर खां बनाम सैय्यद किश्वर अली आदि में परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3ग पर पारित आदेश दिनांकित 19.07.2022 पुष्ट किया जाए। शेष विपक्षीगण/उत्तरदाता 6 व 7 पर दिनांक 17.09.2024 को तामीला पर्याप्त अवधारित किया गया, परन्तु उक्त विपक्षीगण की ओर से उपस्थित होकर कोई लिखित अथवा मौखिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

4. निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदातागण सं0 1 ता 5 एवं 8 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5. निगरानीकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों के विरुद्ध प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उत्तरदाता सं0 1 ता 4 मूल वाद सं0 874/2015 नया नंबर 121/2016 के प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 पर इन्कारी की तामीला अवधारित किए जाने से देरी की गणना नहीं की गई, बल्कि परिसीमा अवधि की गणना उत्तरदाता सं0 1 ता 4 को डिक्री की जानकारी की दिनांक से अवधारित की गई, जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उत्तरदाता सं0 1 ता 4 को उपरोक्त संदर्भित मूल वाद की जानकारी पी0ए0 वाद सं0–18/2018 में अतिरिक्त काउंटर शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों से दिनांक 27.02.2019 को हो गई थी। इस प्रकार चूंकि उत्तरदाता सं0 1 ता 4 को संदर्भित मूल वाद की जानकारी दिनांक 27.02.2019 से ही थी, इस कारण एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराने हेतु दिए गए पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में हुई देरी को तभी क्षमा किया जा सकता है जब उत्तरदाता सं0 1 ता 4 दिनांक 27.02.2019 से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक का दिन प्रतिदिन के हिसाब से युक्तियुक्त कारण स्पष्ट करें, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा डिक्री की जानकारी होने की दिनांक से परिसीमा की अवधि की गणना की गई तथा देरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। मूलवाद में प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण द्वारा उपस्थित होकर प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने में जानबूझकर देरी की गई। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त आधारों पर ध्यान न देकर तथा तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया, इस कारण प्रश्नगत आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

6. उत्तरदातागण द्वारा यह तर्क दिया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। इस कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है तथा आक्षेपिक आदेश पुष्ट किए जाने योग्य है।

निष्कर्ष

7. प्रस्तुत निगरानी के संबंध में यह देखा जाना है कि अवर न्यायालय द्वारा आपेक्षिक आदेश पारित करने में अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण तो नहीं किया गया अथवा अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अवर न्यायालय असफल तो नहीं हुआ अथवा अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग अवैधानिक रूप से अथवा तात्विक अनियमितता के साथ तो नहीं किया गया पुनरीक्षण के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा–115 के संबंध में उ0प्र0 द्वारा यह संशोधन किया गया है कि–

> ***पुनरीक्षण–*** *(1) किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद या अन्य कार्यवाही में विनिश्चित किसी मामले में पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण वहाँ वरिष्ठ न्यायालय कर सकेगा, जहां उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती और जहाँ अधीनस्थ न्यायालय ने*
>
> *(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो विधि द्वारा निहित नहीं है; या*
>
> *(ख) इस प्रकार से निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल हुआ है; या*
>
> *(ग) अवैधानिक रूप से अथवा तात्विक अनियमितता के साथ अपनी अधिकारिता के प्रयोग में कार्य किया है।*
>
> *(2) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण–आवेदन, जब उच्च न्यायालय में दाखिल किया जाये, तो उसमें ऐसे आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर, वाद–शीर्षक के नीचे, इस प्रभाव का एक प्रमाण–पत्र अन्तर्विष्ट होगा कि इस मामे का कोई पुनरीक्षण जिला न्यायालय में नहीं होता, बल्कि केवल उच्च न्यायालय में ही होता है या तो मूल्यांकन के कारण या उस आदेश के कारण, जिसे पुनरीक्षणित किये जाने की ईप्सा से जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।*
>
> *(3) इस धारा के अधीन वरिष्ठ न्यायालय किसी भी पारित किये गये आदेश को परिवर्तित नहीं करेगा या उलट नहीं देगा, सिवाय जहाँ–*
>
> *(i) आदेश, यदि उसे पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में पारित किया गया हो, बद या अन्य कार्यवाही को अन्तिम रूप से निस्तारित करता हो; या*
>
> *(ii) आदेश, यदि उसे बरकरार रहने के लिये अनुज्ञात किया गया हो, उस पक्षकार के प्रति, जिसके विरुद्ध इसे पारित किया गया है, न्याय की विफलता का अवसर उत्पन्न करता हो या अपूर्णीय क्षति कारित करता*
>
> *(4) पुनरीक्षण किसी न्यायालय के समक्ष वादया अन्य कार्यवाही के स्थगन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, सिवाय जहाँ ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही वरिष्ठ न्यायालय द्वारा स्थगित की जाती हो।*
>
> *स्पष्टीकरण – इस धारा में–*
>
> *(i) अभिव्यक्ति "वरिष्ठ न्यायालय" से अभिप्रेत है–*
>
> *(क) जिला न्यायालय, जहाँ उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिर्णीत वाद का मूल्यांकन पाँच लाख रुपये से अधिक न हो;*

(ख) उच्च न्यायालय, जहाँ जिला न्यायालय द्वारा विनिर्णीत वाद में पारित आदेश पुनरीक्षण के लिये ईथ्प्सत हो या जहां जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामले में मूल वाद या अन्य कार्यवाहियों का मूल्यांकन पाँच लाख रुपये से अधिक हो।

(ii) अभिव्यक्ति "आदेश" में किसी मूल वाद या अन्य कार्यवाहियों में किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाला आदेश भी शामिल है।

स्पष्टीकरण ।।–इस धारा के प्रावधान इनके प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थित मूल बादों या अन्य कार्यवाहियों में इस धारा के प्रारमभ होने से पूर्व या पश्चात् पारित किये गये आदेशों में लागू होंगे।"– [उ० प्र० अधिनियम सं० 14, वर्ष 2003, धारा 2 (दिनांक 1.7.2002 से प्रभावी]।

8. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय विद्वान लघुवाद न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0–83/2019 मशकूर खां बनाम सैय्यद किश्वर अली में मूल वाद सं0–874/2015 के प्रतिवादी सं0 4 ता 7 द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना की गई कि मूल वाद सं0–874/2015 में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांकित 07.05.2019 तथा डिक्री के विरुद्ध पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाए, इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं0 3ग समर्थित शपथ पत्र कागज सं0 4ग प्रस्तुत किया गया, जिसके विरुद्ध विपक्षी सं0 5 सैय्यद जफर अली द्वारा आपत्ति 22ग शपथ पत्र 23ग के साथ प्रस्तुत की गई तथा विपक्षी सं0 1 सैययद किश्वर अली की ओर से आपत्ति 24ग मय शपथ पत्र 25ग प्रस्तुत की गई। उपरोक्त प्रार्थना पत्र तथा आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2022 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया तथा प्रार्थना पत्र 3ग को हर्जे पर स्वीकार करते हुए यह निष्कर्ष दिया गया कि ***"परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के अधिनियम 123 के अनुसार एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सीमा 30 दिन है। इन 30 दिनों की गणना यदि मामले में समन या नोटिस प्रार्थी पर तामीला नहीं है तब ऐसे एकपक्षीय आदेश का ज्ञान होने की तिथि से 30 दिन होंगे, किंतु यदि समन या नोटिस तामील है तो यह सीमा डिक्री पारित होने से 30 दिन होगी।***

मूल पत्रावली मूल वाद सं0–187/2015 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश दिनांकित 20.07.2018 द्वारा परिवादी सं0 2 एवं परिवादी सं0 4 से प्रतिवादी सं0 7 पर इन्कारी के आधार पर तामीला पर्यापत माना गया है। प्रतिवादी सं0 3 पर भी तामीला पर्याप्त माना गया है। प्रतिवादी सं0 1 जरिए वकालतनामा पूर्व में हाजिर हो चुका है। आदेश दिनांकित 23.07.2018 द्वारा प्रतिवादी सं0 8 पर तामीला माना गया है। उक्त वाद एकपक्षीय रूप से दिनांक 07.05.2019 को निर्णीत किया गया था।

वर्तमान प्रार्थना पत्र मूल वाद के प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिन पर इन्कारी के आधार पर तामीला माना गया था। पत्रावली में मूल वाद के प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 के रजिस्टरी संलग्न है, जिसमें यह अंकित है कि बार–बार जाने पर अपने पते पर नहीं मिलते है तथा रजिस्टरी प्रेषक को वापिस किया जाए। इस प्रकार उपरोक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 प्रस्तुत करने की समय सीमा डिक्री के ज्ञान से होगी न कि डिक्री के पारित करने की तिथि से।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि उक्त वाद की जानकारी तब हुई जब विपक्षी ने उसी दिन पी0ए0 सं0–18/2018 में अतिरिक्त काउंटर शपथ पत्र दाखिल किया गया। प्रार्थी ने उसी दिनांक को उक्त मूल वाद की पत्रावली का मुआयना किया व एकपक्षीय डिक्री की नकल बनवाई।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने विधि व्यवस्था <u>सुदेश बनाम ए0डी0जे0 कानपुर 2006(24) एल0सी0डी0 230</u> में यह अवधारित किया है कि एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए न्यायालय को उदार रूप रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वाद का निस्तारण गुणदोष पर उभय पक्ष के बीच हो सके।

अतएव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 3ग अंतर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।" इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रकरण को गुणदोष के आधार पर निर्णीत करने की दृष्टि तथा प्रार्थीगण/उत्तरदातागण सं0 1 ता 4 को मूल वाद में पारित निर्णय की जानकारी के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। इस संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त के विरुद्ध मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि उत्तरदातागण सं0 1 ता 4 को मूल वाद सं0 874/2015 की जानकारी संदर्भित मूल वाद में पारित एकपक्षीय निर्णय की जानकारी से नहीं, बल्कि पी0ए0 वाद सं0–18/2018 में दाखिल अतिरिक्त काउंटर शपथ पत्र के माध्यम से दिनांक 27.02.2019 को ही हो गई थी।

उपरोक्त आधारों के संबंध में निगरानीकर्तागण द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0 83/2019 में प्रस्तुत आपत्ति 22ग तथा 24ग में भी तथ्य वर्णित किए गए हैं तथा निगरानीकर्तागण द्वारा आधार में वर्णित पी0ए वाद सं0–18/2018 में विपक्षी जफर अली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि 23ग तथा शपथ पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को हर्जे पर स्वीकार कर प्रार्थी मशकूर खां द्वारा एकपक्षीय निर्णय को अपास्त किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया गया। इस प्रकार विद्वान न्यायालय द्वारा केवल मात्र एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुई देरी को ही क्षमा किया गया है तथा एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र 5ग पर सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई। प्रार्थना पत्र 5ग अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 की सुनवाई के समय यह देखा जाना है कि प्रार्थी मशकूर खां को मूल वाद सं0–187/2015 की सम्यक तामीला किस प्रकार थी अथवा नहीं थी, जबकि देरी क्षमा संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए यह तथ्य ही देखा जाना था कि आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जा सकता है या नहीं। यदि उक्त देरी के संबंध में दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा न्यायालय उक्त स्पष्टीकरण को युक्तियुक्त पाता है तो देरी क्षमा की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय के पश्चात् डिक्री के ज्ञान से जानकारी होना अवधारित की गई है एवं उक्त के आधार पर एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत नहीं होत कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा किसी महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी करते हुए अपने क्षेत्राधिकार का कोई अतिक्रमण किया हो अथवा अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा हो। निगरानीकर्ता द्वारा जिन आधारों को प्रस्तुत निगरानी में उठाया गया है, उक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं तथा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि उक्त आधारों को विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 5ग के निस्तारण के समय उठाने के लिए निगरानीकर्ता स्वतंत्र है, तद्नुसार निगरानी सं0–56/2022 निरस्त किए जाने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश पुष्ट किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए निगरानीकर्ता द्वारा योजित दीवानी निगरानी सं0–56/2022 निरस्त की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विविध वाद सं0–83/2019 , मशकूर खां आदि बनाम सैय्यद किश्वर अली आदि में पारित आदेश दिनांकित 19.07.2022 पुष्ट

किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय का अभिलेख यदि कोई तलब हो तो इस निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए वापस प्रेषित किया जाये। प्रस्तुत दीवानी निगरानी सं0–56/2022 की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक 12.12.2024

(रेशमा चौधरी)
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय के पृष्ठ सं0 1 से 6 पर मेरे द्वारा सूक्ष्म तथा पृष्ठ सं0 7 पर पूर्ण हस्ताक्षर किये गये।

दिनांक 12.12.2024

(रेशमा चौधरी)
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।